

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, मा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बेगूसराय।

पटना, दिनांक-

विषय:- विमुक्त किशोर श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के न्यासी पर्वद द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में किये गये संशोधन के आलोक में खतरनाक नियोजनों से विमुक्त वैसे किशोर जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु उनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और जिनका विवरण CLTS में दर्ज हो, को भी बाल श्रमिकों की तरह मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये मात्र की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

उक्त राशि खतरनाक नियोजनों से विमुक्त किशोर श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि किशोर श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन / एफ०आई०आर०
1	बेगूसराय	BIH_BEGUS_2023_109078	करण कुमार	11.06.2023	159/23
2		BIH_BEGUS_2023_109079	चन्दन कुमार	11.06.2023	160/23
3		BIH_BEGUS_2023_108997	मो० आसिफ	05.08.2023	240/23
4		BIH_BEGUS_2023_109409	उजाला परवेज	08.09.2023	584/23
5		BIH_BEGUS_2023_109405	मो० मोनाजिर	09.10.2023	526/23
6		BIH_BEGUS_2023_108541	सजन कुमार	27.05.2023	NA
7		BIH_BEGUS_2023_109328	सचिन कुमार	25.11.2023	739/23
8		BIH_BEGUS_2023_109338	मो० शहनवाज	25.11.2023	739/23
9		BIH_BEGUS_2023_109468	राजा बाबू कुमार	29.11.2023	330/23
10		BIH_BEGUS_2024_109839	राजा कुमार	27.02.2024	48/2024

11		BIH_BEGUS_2024_109892	सुजीत कुमार	03.04.2024	196/24
12		BIH_BEGUS_2024_110109	सचिन कुमार	03.04.2024	196/24
13		BIH_BEGUS_2023_108679	नीतीश कुमार	15.06.2023	443/23
14		BIH_BEGUS_2024_110113	अंकित कुमार	06.06.2024	210/24
15		BIH_BEGUS_2024_110273	सुमन कुमार	23.07.2024	53
16		BIH_BEGUS_2024_110373	आयुष कुमार	29.07.2024	28/24
17		BIH_BEGUS_2024_110480	प्रिंस कुमार	02.08.2024	250/24
18		BIH_BEGUS_2024_110347	गुलशन कुमार	05.08.2024	102/24
19		BIH_BEGUS_2024_110660	चाँद कुमार	13.11.2024	135/24
20		BIH_BEGUS_2022_108095	मो० जमशेद	17.05.2022	205674
21		BIH_BEGUS_2025_111078	मो० दिलशाद	03.03.2025	14/25
22		BIH_BEGUS_2024_110912	मो० शेफली	30.12.2024	298/24

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त किशोर श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री रात कोष से @25,000/- प्रति किशोर श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	किशोर श्रमिकों की संख्या	किशोर श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण।
बेगुसराय	जिला पदाधिकारी, बेगुसराय	36341564587	SBIN0000032	22	22@25000	5,50,000	पत्रांक-966 / दिनांक-25.04.2025
कुल				22	22@25000	5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अधियाचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र किशोर श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त किशोर श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-14/2025श्र०सं०.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त किशोर श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/सी०एल०-10-14/2025, श्र०सं०.....3076

पटना, दिनांक 02/06/2025

प्रतिलिपि:-आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4 28/5/25

श्रमायुक्त, बिहार